


निदेशालय ग्रामीण विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़

आदेश

मामले में विभाग ने विचारोपरान्त श्रीमती सुरेश कुमारी, अतिरिक्त ग्राम सेविका, डी0आर0डी0ए0, पानीपत को 55 वर्ष की आयु उपरान्त सेवा में बनाये रखने का निर्णय लिया है ।


चण्डीगढ़, दिनांक
5-2-2016


अशोक कुमार मीणा
निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0 क0 स्था-11-2016 / 678

चण्डीगढ़, दिनांक 11-2-2016


उपरोक्त की एक प्रति अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पानीपत को उनके पत्र क्र0 क्र0 स्था0/9219, दिनांक 21.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


परियोजना अधिकारी
कृते: निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0 क0 स्था-11-2016 / 679

चण्डीगढ़, दिनांक 11-2-2016

उपरोक्त की एक प्रति लेखाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


परियोजना अधिकारी
कृते: निदेशक एवं विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

Ameylist